रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2016/माघ 28, 1937
No. 111] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2016/MAGHA 28, 1937

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 178(अ).—केंद्रीय सरकार, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114 की उप-धारा (2) के खंड (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बीमा (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए प्रक्रिया) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं –** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "न्यायनिर्णायक अधिकारी" से अधिनियम की धारा 105ग की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "जांच" से अधिनियम की धारा 105ग में निर्दिष्ट जांच अभिप्रेत है;

(ड.) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(च) इन नियमों में प्रयुक्त सभी अन्य शब्द और पद जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है और अधिनियम में परिभाषित किया गया है के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में है।

3. **न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच –** धारा 105ग की उपधारा (1) में और इन नियमों में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, न्याय निर्णायक अधिकारी इन नियमों के अधीन नियम 4 में विनिर्दिष्ट रीति में जांच करेगा।

4. **जांच करने की रीति** – (1) जांच करने के प्रयोजनों के लिए, कि क्या किसी व्यक्ति ने अधिनियम की धारा 2गख की उपधारा (2) या धारा 34ख की उपधारा (4) या धारा 40 की उपधारा (3) या धारा 41 की उपधारा (2) या धारा 42 की उपधाराओं (4) और (5) या धारा 42घ की उपधाराओं (8) और (9) या धारा 52च या धारा 105ख में यथाविनिर्दिष्ट उल्लंघन किए हैं, न्यायनिर्णायक अधिकारी, प्रथमतया, ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा, जिसमें ऐसे अवधि के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाए (उसकी तामील की तारीख से 14 दिन से अन्यून) कारण बताने की अपेक्षा की जाएगी कि क्यों न उसके विरुद्ध जांच की जाए।

(2) उपनियम (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी किए गए प्रत्येक नोटिस में उसके द्वारा किए गए अभिकथित अपराध की प्रकृति उपदर्शित की जाएगी और नोटिस उसे निम्नलिखित रीति में तामील किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) उस व्यक्ति या उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि को इसे परिदत्त करते हुए या देते हुए ; या

(ख) उस व्यक्ति को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजते हुए,—

(i) उसके निवास स्थान के पते पर या अंतिम ज्ञात निवास स्थान या उस स्थान पर जहां उसने कारबार किया है या अंतिम बार कारबार किया है या वैयक्तिक रूप से कार्य किया है या अंतिम बार लाभ अर्जन के लिए कार्य किया है;

(ii) बीमाकर्ता या बीमा अभिकर्ता या मध्यवर्ती के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर, जो प्राधिकरण के अभिलेख में यथा अंतर्विष्ट है ; या

(ग) जहां खंड (क) और (ख) के अधीन इसकी तामील नहीं की जा सकती है, वहां परिसरों के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर चिपकाकर, जिसमें वो व्यक्ति निवास करता है या जहां उसने अंतिम बार निवास किया है या कारबार किया है या वैयक्तिक रूप से कार्य किया है या लाभ अर्जन के लिए अंतिम बार कार्य किया है और उसकी लिखित रिपोर्ट का साक्ष्य दो व्यक्तियों द्वारा दिया जाएगा।

(3) जिस व्यक्ति को उपनियम (1) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है उसके द्वारा दिए गए कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् यदि न्यायनिर्णायक अधिकारी की यह राय है कि जांच की जानी चाहिए, तो वह नोटिस जारी करेगा जिसमें उस व्यक्ति की स्वयं या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से हाजिर होने की तारीख नियत की जाएगी:

परंतु जांच करते हुए, न्यायनिर्णायक अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी और सुसंगत हो, को प्रस्तुत करने के लिए बुलाने और उसकी हाजिरी प्रवर्तित करने की शक्ति होगी।

(4) नियत तारीख को न्यायनिर्णायक अधिकारी जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को ऐसे व्यक्ति द्वारा अभिकथित अपराध को अधिनियम या नियमों जिसके संबंध में उल्लंघन अभिकथित किया गया है के उपबंधों को उपदर्शित करते हुए स्पष्ट करेगा।

(5) न्यायनिर्णायक अधिकारी तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा, जिनको वह जांच से सुसंगत समझता है और यदि आवश्यक हो तो सुनवाई भविष्य में किसी तारीख को स्थगित की जा सकेगी और ऐसे साक्ष्य लेते हुए न्यायनिर्णायक अधिकारी साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 11) के उपबंधों का पालन करने के लिए आबद्धकर नहीं होगा।

(6) यदि कोई व्यक्ति उपनियम (3) द्वारा यथा अपेक्षित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष पेश होने में विफल रहता है, उपेक्षा करता है या इंकार करता है तो न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसा करने के लिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में जांच की कार्यवाही कर सकेगा।

5. **न्यायनिर्णायक अधिकारी की रिपोर्ट** – (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी, सभी सुसंगत तथ्यों और व्यक्ति द्वारा किए गए अनुरोध को ध्यान में रखने के पश्चात् अपनी जांच रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(2) न्यायनिर्णायक अधिकारी की, जहां अपने समक्ष प्रस्तुत साक्षयों पर विचार करने के पश्चात्, यह संतुष्टि हो जाती है कि व्यक्ति ने धारा 105ग की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी उपबंध का अनुपालन नहीं किया है या उल्लंघन किया है, तो वह अपनी जांच रिपोर्ट में ऐसी शास्ति की सिफारिश कर सकेगा, जिसे वह उक्त धाराओं की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार उचित समझे।

(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी धारा 105ग के अधीन शास्ति की मात्रा की सिफारिश करते हुए धारा 105घ में विनिर्दिष्ट कारकों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(4) न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक जांच रिपोर्ट अधिनियम के उन उपबंधों को कारणों सहित शास्ति की सिफारिश करने के लिए विनिर्दिष्ट करेगी जिनके संबंध में व्यतिक्रम हुआ है।

(5) प्रत्येक ऐसी जांच रिपोर्ट पर तारीख दर्शायी जाएगी और न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगी तथा प्राधिकरण को अग्रेषित की जाएगी।

[फा. सं. 12018/1/2015– बीमा II]

आलोक टंडन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2016

G.S.R. 178(E).—In exercise of the powers conferred by clause (la) of sub-section (2) of section 114 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Insurance (Procedure for Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Rules, 2016.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "**Act**" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);

(b) "**adjudicating officer**" means the officer appointed by the Authority as adjudicating officer under sub-section (1) of section 105 C of the Act;

(c) "**Authority**" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);

(d) "**Inquiry**" means the inquiry referred in section 105C of the Act;

(e) "**section**" means section of the Act;

(f) all other words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Inquiry by adjudicating officer.—**For the purposes specified in sub-section (1) of section 105 C and in these rules, the adjudicating officer shall hold inquiry under these rules in the manner specified in rule 4.

4. **Manner of holding inquiry**.—(1) For the purposes of holding inquiry as to whether any person has committed contraventions as specified in sub-section (2) of section 2CB or sub-section (4) of section 34B or sub-section (3) of section 40 or sub-section (2) of section 41 or sub-sections (4) and (5) of section 42 or sub-sections (8) and (9) of section 42D or section 52F or section 105B of the Act, the adjudicating officer shall, in the first instance, issue a notice to such person requiring him to show cause within such period as may be specified in the notice (being not less than fourteen days from the date of service thereof) as to why such an inquiry should not be held against him.

(2) Every notice issued to a person under sub-rule (1) shall indicate the nature of offence alleged to have been committed by him and shall be served on him in the following manner, namely:-

(a) by delivering or tendering it to that person or his duly authorised representative; or

(b) by sending it to the person by registered post with acknowledgement due,—

(i) to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works, or last worked, for gain;

(ii) to the address of the registered office of the insurer or insurance agent or intermediary as contained in the records of the Authority; or

(c) where it cannot be served under clause (a) or (b), by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided, or carried on business or personally works or last worked for gain and the written report thereof shall be witnessed by two persons.

(3) After considering the cause, if any, shown by the person to whom show cause notice is issued under sub-rule (1), if the adjudicating officer is of the opinion that an inquiry should be held, he shall issue a notice fixing a date for the appearance of that person either personally or through his authorised representative:

Provided that while holding such inquiry, the adjudicating officer shall have power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the adjudicating officer, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry.

(4) On the date fixed, the adjudicating officer shall explain to the person proceeded against or his authorised representative, the offence alleged to have been committed by such person indicating the provisions of the Act or the rules in respect of which contravention is alleged to have taken place.

(5) The adjudicating officer shall then give an opportunity to such person to produce documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary, the hearing may be adjourned to a future date and in taking such evidence, the adjudicating officer shall not be bound to observe the provisions of the Evidence Act, 1872 (11 of 1872).

(6) If any person fails, neglects or refuses to appear before the adjudicating officer as required by sub-rule (3), the adjudicating officer may proceed with the inquiry in the absence of such person after recording the reasons for doing so.

5. **Report of adjudicating officer.—**(1) The adjudicating officer shall, after taking into account all relevant facts and the submissions made by the person, submit his inquiry report to the Authority.

(2) Where after taking into consideration the evidence produced before him the adjudicating officer is satisfied that the person has failed to comply with or contravened the provisions of any of the sections specified in sub-section (1) of section 105C, he may recommend such penalty in his inquiry report, as he thinks fit, in accordance with the provisions of any of those sections specified in sub-section (1) thereof.

(3) While recommending the quantum of penalty under section 105 C, the adjudicating officer shall have due regard to the factors specified in section 105D.

(4) Every inquiry report submitted by the adjudicating officer shall specify the provisions of the Act in respect of which default has taken place along with reasons for recommending the penalty.

(5) Every such inquiry report shall be dated and signed by the adjudicating officer and forwarded to the Authority.

[F. No. 12018/1/2015-Ins. II]

ALOK TANDON, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.